N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0282 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/12/2024 17:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:50 बजे **Time To (समय तक):** 14:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/12/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/12/2024 17:12:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA KESHVRAIPATAN, DISTRICT BUNDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VINOD PRAJAPATI

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAJENDRA KUMAR

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KALATALAB, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KALATALAB, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARINARAYAN PANCHAL		पिता:NANDLAL	1. WARD NO.25,KAPREN,KESHVRAI PATAN,BUNDI,RAJASTHAN,IND
2	PAWAN KUMAR GOTAM		पिता:RAMANAND SHARMA	1. B-7,CHHATARPURA ROAD,MAA SANTOSHINAGAR,BUNDI,RAJA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2024 समय 02.50 पी.एम. पर परिवादी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार उम्र 33 साल जाति प्रजापति निवासी काला तालाब कोटा मोबाईल नं. [redacted] ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि "मै विनोद कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष जाति प्रजाप्रति निवासी काला तालाब कोटा का निवासी हूं। मेरी माता जी मोहिनी बाई के नाम पर कोटडी गांव तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी में 2.76 हैक्टेयर कृषि भूमि खाते की है मेरी मां मोहिनी बाई ने उक्त भूमि पर बिजली कनेक्शन लेने के लिए मुझे फाईल लगाने के लिए कहा था। इस पर मैं दिनांक 20.11.24 को सहायक अभियंता कार्यालय JVVNL केषोराय पाटन बूंदी गया था तथा बिजली कनेक्शन की फाईल तैयार करवाई थी। जब मैं फाईल ONLINE करवाने गया तो वहां सहायक अभियंता कार्यालय में मुझे श्री नारायण पांचाल मिला तथा मुझसे कहा कि मैं आपका काम करवा दूंगा तथा डिमाण्ड नोटिस आने पर आपको बता दूंगा तथा मेरे मोबाईल नम्बर लिए तथा उसने मेरी फाइल अपने पास रख ली। अगले दिन उसके मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आया तथा मुझसे कहा कि मैने मौका देख लिया है आपका काम हो जाएगा। डिमाण्ड नोटिस आने पर आपको बता दूंगा। इसके बाद भी हमारी मोबाईल पर बात होती रही। दिनांक 26.11.24 को श्री नारायण पांचाल (ठेकेदार) का कॉल मेरे मोबाईल पर आया तथा कहा कि आपके बिजली कनेक्शन की फाईल सेंक्शन करवाने के 40,000 रुपये लगेंगे। मैने कहा कि डिमाण्ड नोटिस जारी हो गया क्या। इस पर उसने कहा कि डिमाण्ड नोटिस तभी जारी होगा जब 40,000 रुपये रिष्वत राषि दोगे। ये 40,000रुपये रिश्वत राशि में मेरा, कनिष्ठ अभियंता तथा सहायक अभियंता सभी का हिस्सा है। मैं अपने जायज काम के बदले श्री नारायण पांचाल, कनिष्ठ अभियंता तथा सहायक अभियंता को रिष्वती राषि नही देना चाहता तथा रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री नारायण पांचाल, कनिष्ठ अभियंता तथा सहायक अभियंता से कोई रंजिश नही है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। मैने इन तीनो से रुपये उधार नही ले रखे हैं। मेरी माताजी ने कार्यवाही के लिए मुझे अधिकृत कर रखा है। परिवादी ने दरयाफ्त पर बताया कि आरोपी जब भी मुझे रिश्वति राशि हेतु बुलाएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। प्रार्थना पत्र तथा परिवादी से दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया है। मामला रिश्वत की मांग का होने से सत्यापन करवाया जाएगा। समय 03.25 पी.एम. पर मन राजपाल सिंह पुलिस निरीक्षक को अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री विनोद प्रजापति से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही का नोट अंकित कर प्रार्थना पत्र मय परिवादी के आधार कार्ड की प्रति व क्षतिपूर्ति बंध पत्र की प्रति जो परिवादी की माता श्रीमति मोहिनी बाई के नाम से है मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देष दिए। समय 03.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री विनोद प्रजापति को मय उसके द्वारा पेष प्रार्थना पत्र अपने कक्ष में लेकर आया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर दरयाफ्त की तो परिवादी द्वारा पेष प्रार्थना पत्र की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि आरोपी नारायण पांचाल ठेकेदार जब भी मुझे रिश्वति राशि की बातचीत हेतु बुलाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस पर परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर दिए गए। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 28.11.2024 समय 03.45 पी.एम. पर परिवादी श्री विनोद प्रजापति उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि आरोपी श्री नारायण पांचाल ने मुझे कॉल किया था कहा था कि आज मैं बूंदी जाउंगा आप मुझे समय लगभग 4.30 पी.एम. पर बूंदी रोड पर स्थित त्रिकुटा मंदिर वाले तिराहे पर मिल जाना तथा अब वह मुझसे मेरे काम बिजली कनेक्शन लगवाने की एवज में 30,000रु रिश्वति राशि लेने हेतु सहमत हो गया है। इस पर श्री असलम खान सउनि को बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया गया। समय 04.20 पी. एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री विनोद प्रजापति को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को चलाना व बंद करना समझाया गया। बूंदी रोड पर स्थित त्रिकुटा मंदिर वाले तिराहे पर आरोपी श्री नारायण पांचाल ठेकेदार से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री असलम खान को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी श्री विनोद प्रजापति व श्री असलम खान सउनि को परिवादी की मोटर साईकिल से रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय 5.31 पी.एम पर परिवादी श्री विनोद प्रजापति व श्री असलम खान सउनि उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी ने बताया कि मैं तथा श्री असलम खान जी मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर बूंदी रोड पर स्थित त्रिकुटा मंदिर वाले तिराहे से थोडा पहले रुक गए थे। थोडी देर बाद आरोपी श्री नारायण पांचाल का मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आया तथा पूंछा कि आप कहा हो तो मैने कहा कि मैं नहर पर आ गया हूं बस आपके पास आ रहा हूं । इसके बाद श्री असलम जी ने मेरे पास रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू करवाकर मेरी जेब में रखवाया था। मैं रवाना होकर बूंदी रोड पर स्थित त्रिकुटा मंदिर वाले तिराहे पर पहुंचा तो आरोपी श्री नारायण पांचाल मुझे वहीं उपस्थित मिला मैने श्री नारायण पांचाल से रिष्वत मांग की वार्ता की थी। आरोपी से रिश्वति राशि के सम्बंध में बात हुई तो आरोपी ने मुझे बताया कि मैं आज भी दो फाईले सेंक्शन करवा कर लाया हूं तथा एक फाईल इसलिए सेंक्शन नही कि उस फाईल के पैसे नही आए थे इसलिए उस फाईल में ऑब्जेक्शन लगा दिया। मैने अपने काम के बारे में बातचीत कर उसे पहले 15,000रुपये देने तथा शेष 15,000रुपये बाद मे देने हेतु कहा तो उसने मुझसे कहा कि तू अभी कुछ भी लेकर नही आया क्या, ऐसा कर 15,000हजार नही तू अभी मुझे 20,000रुपये ऑनलाईन कर दे। इस पर मैने उसके कहा कि अभी तो मैं रुपये लेकर नही आया और मेरे पास 16-17000 रुपये ही है इसलिए मैं आपको कल 15,000रुपये दे दूंगा। इस पर उसने कहा कि तू कब आएगा तो मैने कहा कि मैं जब भी आउंगा आपको कॉल कर दूंगा। फिर मैं रवाना होकर असलम जी के पास आ गया तथा मैने मौका देखकर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को बंद कर लिया था तथा श्री असलम जी को सारी बात बताई थी। इस पर हम दोनो रवाना होकर एसीबी कार्यालय कोटा आ गए। श्री असलम खान सउनि ने परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद होकर रिश्वत मांग का सत्यापन हुआ। फर्द प्राप्ती डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वति राशि का इंतजाम करके उससे मिलने का समय ले लूंगा तथा जब भी वो रिश्वति राशि लेने हेतु सहमत हो जाएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा या आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 29.11.2024 समय 11.30 ए.एम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अति. पुलिस अधीक्षक को दिनांक 28.11.2024 को हुए रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में अवगत करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सुनाई गई। अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन को सही मानकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया। समय 05.49 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री विनोद प्रजापति के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आज दिन में मेरी आरोपी श्री नारायण पांचाल से जर्ये मोबाईल वार्ता हुई थी परंतु वह रिश्वति राशि के पूरे 30,000रुपये पहले ही मांग रहा है। मेरे पास अभी 30,000रुपये रिश्वति राशि की व्यवस्था नही हो पा रही है। इसलिए मैं उससे रिश्वति राशि कम करने की कोशिश कर रहा हूं तथा रिश्वति राशि का भी इंतजाम कर रहा हूं। जैसे ही मेरी उससे इस सम्बंध में स्पष्ट वार्ता हो जाएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा या आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर पुनः उसे गोपनीयता की हिदायत दी तथा आरोपी से सम्पर्क होते ही सूचित करने हेतु निर्देशित किया। समय 07.33 पी.एम पर श्री विनोद प्रजापति के मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर अवगत करवाया कि मेरी आरोपी श्री नारायण पांचाल ठेकेदार से मोबाईल से बात हुई है वो मुझसे कल 11 बजे करीब रिश्वति राशि 15,000रुपये लेतु हेतु सहमत हो गया है। इस पर परिवादी को मय रिश्वति राशि दिनांक 30.11.2024 सुबह 08.00 ए.एम. पर एसीबी चैकी कोटा देहात उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया तथा गोपनीयता की हिदायत की गई। चूंकि कल सुबह 11.00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना है अतः श्री नरेश कानि. 144 को तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 30.11.2024 को सुबह 08.00 ए.एम. पर अपने कार्यालय आने हेतु पाबंद करना है। समय 10.40 पी.एम पर श्री नरेश कानि. 144 मय तहरीर की प्रति उपस्थित कार्यालय आया। तहरीर पर दो स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्मींकांत मीणा एन. ओ. तथा श्री महेश चंद्र चैधरी, एल.टी. नाम अंकित किया गया है। श्री नरेश कानि. ने बताया कि आपके कहे अनुसार श्री आषुतोष शर्मा, अधीक्षक न्यू मेडिकल कॉलेज, हॉस्पीटल कोटा ने उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहो को कल दिनांक 30.11.2024 समय 08.00 एएम पर अपने कार्यालय एसीबी चैकी कोटा देहात पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर दिया है। चौकी हाजा के जाप्ते को कल दिनांक 30.11.2024 को सुबह 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 30.11.2024 समयः 08.25 ए.एम. पर पूर्व का पाबंदशुदा परिवादी श्री विनोद प्रजापति स्वयं की निजी कार से उपस्थित कार्यालय आया। थोडी देर बाद ही पूर्व के पाबंदशुदा दोनो स्वतत्रं गवाहान श्री लक्ष्मीकांत मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा उम्र 33 साल निवासी खाताखेडी, पोस्ट भगवानपुरा थाना पनवाड तहसील खानपुरा जिला झालावाड हाल नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल कॉलेज कोटा तथा श्री महेश चंद्र चैधरी पुत्र हीरा लाल चौधरी जाति जाट उम्र 46 साल निवासी 2-ग, 33 टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा, कोटा हाल लबोरेट्री टेक्नीषियन, न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल कोटा उपस्थित कार्यालय आए। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी विनोद प्रजापति तथा स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्मींकांत मीणा नर्सिंग ऑफिसर, तथा श्री महेश चंद्र चैधरी, लबोरेट्री टेक्नीशियन का आपसी परिचय करवाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक/लिखित सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

समय 8.40 ए.एम. पर श्री असलम खान सउनि द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री विनोद प्रजापति ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी नारायण पांचाल, ठेकेदार, जेवीवीएनएल, केशोरायपाटन बूंदी की होना की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार मुर्तिब की गई। समय 10.40 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विनोद प्रजापति ने अपने पास से निकालकर आरोपी श्री नारायण पांचाल, ठेकेदार को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल पन्द्रह हजार रूपये मन् पुलिस निरीक्षक राजपाल सिंह को पेश किये। भारतीय मुद्रा के नोटों के नम्बर पृथक पृथक निम्न प्रकार अंकित करवाये गये। 1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3BP 725268 2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6PM 670396 3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0GT 837567 4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 4HV 698633 5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 2BC 827585 6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6QF 159340 7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 5KW 992939 8. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 2GC 297830 9. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8KW 133042 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7EH 991263 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3VR 595662 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 9FA 755627 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3WB 189307 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7KA 729045 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0CQ 366524 16. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0MT 375920 17. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 4HS 927063 18. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8LC 005458 19. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 2BR 746700 20. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7GT 041416 21. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 1TU 117559 22. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0NC 986542 23. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7TP 721182 24. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7VP 399471 25. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6UE 055438 26. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8GM 465323 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3HW 162055 28. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 5WW 013244 29. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8BD 056029 30. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6DL 595658 श्रीमती मंजू चैधरी म0कानि0 384 एसीबी कोटा देहात के द्वारा कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एवं एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री महेशचन्द्र चैधरी से परिवादी श्री विनोद प्रजापति की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती मंजू चैधरी म0कानि0 384से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई जिंस पेंट की आगे की दांयी जेब में रखवाये गये। ट्रेप बॉक्स में रखे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी लेकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती मंजू चैधरी म0कानि0 384 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन कर ले। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को कहाँ रखता है, ध्यान रखे एवं उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल कर इशारा करे। इसके बाद प्लास्टिक के पारदर्षी गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया गया। नोटों पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार व प्लास्टिक के पारदर्षी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमती मंजू चैधरी म0कानि0 384 के दोनों हाथों को अच्छी तरह धुलवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती मंजू चैधरी म0कानि0 384 से वापस मालखाने मे रखवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड लगाकर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पेंट की आगे की बांयी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थ्लीन पाउडर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.05 ए.एम. पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत समस्त सीजर कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाया जाना आवशयक होने से मालखाने से एक नया मैमोरी कार्ड जिस पर अंग्रेजी में ए डाटा लिखा हुआ, 16 जीबी क्षमता का निकालकर श्री मोहम्मद शरीफ कानि. 288 के मोबाईल फोन में लगवाकर समस्त सीजर कार्यवाही की विडियोग्राफी करने हेतु निर्देषित किया गया। समय 11.10 ए.एम. पर

आरोपी की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी नारायण पाचांल, ठेकेदार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल फोन का स्पीकर आँन कर वार्ता करवाई गई। जिसे परिवादी के पास रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। आरोपी द्वारा परिवादी को घंटे भर बाद फोन करने व नार्दन बाईपास पर बुलाया है। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादी को घंटे भर बाद नार्दन बाईपास पर बुलाया है अतः मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम कार्यालय में मुकीम रहा। समय 11.20 ए.एम.पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, को मेरे निर्देशन में श्री असलम खान स.उ.नि. से कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री विनोद प्रजापति ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी नारायण पांचाल, ठेकेदार, जेवीवीएनएल, केषोरायपाटन बूंदी की होना पहचान की । फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता प्रथम नियमानुसार मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पुनः परिवादी को सुपुर्द किया गया। समय 12.20 पी.एम.पर परिवादी को स्वयं की निजी कार से श्री असलम स.उ.नि. के साथ आरोपी के बताये स्थान नार्दन बाईपास पर रवाना किया। परिवादी के पीछे श्री मोहम्मद शरीफ कानि. व श्री राजूराम कानि. को स्वयं की मोटरसाईकिल से रंगपुर की ओर से गामछ तिराहे से थोडा पहले पहुँचने हेतु निर्देशित कर रवाना किया मन् पुलिस निरीक्षक, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, श्री पवन कुमार कानि. मय लैपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री विशेष कुमार के परिवादी के वाहन के पीछे- पीछे रवाना हुआ। समय 12.55 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान त्रिकुटा मंदिर कोटा की ओर से नार्दन बाईपास गामछ पुलिया से थोडा पहले पहुँचा। जहाँ मन पुलिस निरीक्षक ने श्री असलम स.उ.नि. को फोन किया तो श्री असलम खान स.उ.नि. ने बताया कि अभी अभी परिवादी के मोबाईल फोन पर आरोपी का फोन आया है। जिसे परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑनकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। आरोपी परिवादी को नार्दन बाईपास गामछ तिराहे पर बुला रहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के पास पहुँचा। परिवादी व श्री असलम खान स.उ.नि. को हिदायत कर नार्दन बाईपास गामछ तिराहे पर पहुँचकर परिवादी का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू करवाकर आरोपी का इंतजार करने एवं स्वयं की उपस्थिति छुपाकर निगरानी करने हेतु रवाना किया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता को अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित इषारे का इंतजार करने हेतु गामछ तिराहे के आस पास मुकीम रहने हेतु निर्देशित किया। समय 12.59 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री असलम खान स.उ.नि. से जरिये मोबाईल वार्ता की तो श्री असलम खान स.उ.नि. ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैने परिवादी का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी को स्वयं की कार में आरोपी का इंतजार करने हेतु मुकीम कर दिया है तथा मै स्वयं की उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी की कार से थोडी दुरी पर खडा हूं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक भी सरकारी वाहन में उपस्थिति छुपाते हुये गामछ तिराहे पर मुकीम हुआ। समय 01.09 पी.एम. पर परिवादी श्री विनोद प्रजापति पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति प्रजापति उम्र 33 साल निवासी वार्ड न. 35 कुम्हारों का मौहल्ला, कालातलाब, कोटा ने गामछ तिराया पर खडी आरोपी की कार अल्टो 800 आरजे. 08 सीए 6175 में बैठे बैठे ने अपने मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप टीम के सदस्यों के आरोपी की कार के पास पहुँचा। परिवादी श्री विनोद प्रजापति आम रोड गामछ तिराया, नार्दन बाईपास पर खडी कार अल्टो 800 आरजे. 08 सीए 6175 में ड्राईवर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था तथा आरोपी ड्राईवर सीट पर बैठा हुआ था। जो अपने हाथों से 500-500 सौ रूपये के नोट गिन रहा था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया तो वह घबराने लगा। मन पुलिस निरीक्षक ने तसल्ली देकर अधेड व्यक्ति के नाम पते पूछे तो उसने अपना नाम हरिनारायण पांचाल पुत्र श्री नंदलाल जाति पांचाल उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं. 25 कापरेन तहसील केशवराय पाटन जिला बूंदी ठेकेदार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केशवरायपाटन जिला बूंदी होना बताया। आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल से गिन रहे नोटों के बारे में पूछा तो उसने परिवादी श्री विनोद प्रजापति के उसकी मां श्रीमती मोहनी बाई के नाम से कृषि कनेक्शन के डिमाण्ड के होना बताया। इस पर पास बैठे परिवादी ने बताया कि मेरी माताजी के नाम से कृषि कनेक्शन हेतु फाईल लगा रखी है लेकिन विद्युत विभाग से अभी डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हुआ है इन्होने मेरे कृषि कनेक्शन करवाने के लिए 40,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी मैं काफी परेशान था इन्होनें मुझसे 2 साल पहले भी कृषि कनेक्शन करवाने के लिए रिश्वत राशि मांगी थे मेरे द्वारा उस समय रिश्वत राशि नहीं देने पर इन्होने मेरी फाईल को आगे नहीं बढाया था। मेरे कृषि कनेक्शन के लिए दोबारा इनसे मिला तो इन्होने कृषि कनेक्शन करवाने के लिए मुझसे अपने व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 40,000रूपये रिश्वत मांगी थी। मैने डिमाण्ड नोट जारी होने की कही तो इन्होंने कहा कि 40,000रूपये दोगे तब ही डिमाण्ड नोटिस जारी होगा। मै मेरे जायज काम के बदले इनको रिश्वत नहीं देना चाहता था। जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में दिनांक 26.11.2024 को की थी। जिस पर कार्यवाही करते हुऐ आपने दिनांक 28.11.2024 को मुझे रिश्वत की बात करने इनके पास भेजा था इन्होने मुझसे मेरे कृषि कनेक्शन के नाम पर डिमाण्ड के अलावा 30,000रूपये लेना तय किया था। मेरे पास अभी 30,000रूपये नहीं होने से मैने 15 हजार अभी देने व 15 हजार रूपये बाद में देना तय किया था।

मेरी आज भी इनसे फोन पर बात हुई तो इन्होने मुझसे बीस हजार रूपये मांगे मैने 15,000रूपये की व्यवस्था होना बताया तो ये आज 15000रूपये लेने पर राजी हुये और मुझे रिश्वत राशि लेकर बुलाया था। इन्होने अभी अभी मुझसे 15,000रूपये लेकर गिनकर अपने हाथ में ले रखे है। मेरी कनेक्शन के कागजात इनकी कार में ही रखे हुये है। ये रूपये डिमाण्ड नोट के नहीं है तथा इनके द्वारा मांगी गई रिश्वत के ही है। इस पर आरोपी ने इंकार किया और कहा कि ये पैसे डिमाण्ड के है मैने कोई रिश्वत नहीं ली है। मै प्राईवेट ठेकेदार हूं। इस पर आरोपी से पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने न तो अपने लिए और न ही किसी ओर अधिकारी/कर्मचारी के लिए रिश्वत लेना बताया। आरोपी बार बार डिमाण्ड के पैसे होना बता रहा है। इस पर स्वयं की कार में बैठे हुये आरोपी के हाथों में रखे 500-500रूपये के नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री महेशचन्द्र चैधरी से गिनवाया तो श्री महेशचन्द्र चैधरी ने 30 नोट गिनकर बताये जिनके नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया तो श्री महेशचन्द्र चैधरी स्वतंत्र गवाह ने मिलान कर हूबहू वहीं नोट होना बताया जिन पर कार्यालय में फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगाया था। उक्त रिश्वति राशि के 30 नोटों को श्री महेशचन्द्र स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाये तथा आरोपी की कार में रखी फाईलों को कब्जे ब्यूरो लिया जायेगा। तत्पष्चात आरोपी को कार से बाहर निकालकर आरोपी का दाहिना हाथ श्री राजूराम कानि. 276 से तथा बायां हाथ श्री पवन कुमार कानि. 272 से कलाई के ऊपर पकडवाया गया। मौके पर उपस्थित श्री मोहम्मद शरीफ कानि. 288 से विडियोग्राफी प्रारम्भ करवाई गई। परिवादी के पास रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री असलम खान स.उ.नि. से बंद करवाकर सुरक्षित रखवाया। रिश्वत राशि के नोटों को स्वतंत्र गवाहान श्री महेशचन्द्र चैधरी से पुनः गिनवाया गया। रिश्वत राशि की पुष्टि होने परन्तु आरोपी हरिनारायण द्वारा उक्त रिश्वत राशि किस अधिकारी/कर्मचारी के लिए ली जा रही है, की पूछताछ आरोपी से करनी है, परन्तु घटनास्थल आम रोड गामछ तिराया नार्दन बाईपास होने, वाहनों की आवाजाही अधिक होने, भीड होने की संभावना के कारण मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी हरिनारायण पांचाल को यथास्थिति सरकारी वाहन में बैठाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व मोहम्मद शरीफ कानि. को साथ लेकर रंगपुर रोड पर एकांत स्थान पर रवाना हुआ शेष जाब्ते को आरोपी के वाहन सहित पीछे आने के निर्देश दिये। घटनास्थल से थोडा आगे चलकर वाहन रोककर आरोपी से पुनः रिश्वत राशि किस अधिकारी/कर्मचारी के लिए ली है, कि पूछताछ की गई तो आरोपी ने किसी अधिकारी/कर्मचारी का नाम नहीं बताया। आरोपी की कार में मिली फाईलों को चैक किया गया तो परिवादी की माताजी श्रीमती मोहनी बाई के नाम कृषि कनेक्शन से संबंधित अण्डरटेकिंग, शपथपत्र व क्षतिपूर्ति बंधपत्र नोटेरीषुदा मूल कागजात प्राप्त हुये इनके अतिरिक्त राकेश कुमार महाजन के नाम 15 एच.पी.कृषि कनेक्शन की पत्रावली 19 वर्क, एक गेट पास बुक नं. 152 सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम) जेवीवीएनएल केषवरायपाटन का- 1 वर्क, एक पेमेन्ट रिसिप्ट कॉपी जिस पर कस्टमर का नाम अंग्रेजी में राजू लाल लिखा हुआ है-1 वर्क तथा आरोपी का कान्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंग्रेजी में लिखा हुआ लेमिनेटेड मिला -1 वर्क जिन पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी हरिनारायण की हाथ धुलाई की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने व ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थल आस पास नहीं होने के कारण मन पुलिस निरीक्षक यथास्थिति सरकारी वाहन में बैठे हुये आरोपी को लेकर रवाना हुआ एवं अन्य जाब्ता को आरोपी के वाहन को लेकर पुलिस थाना केशवरायपाटन जिला बूंदी पहुँचने के निर्देश दिये। आरोपी हरिनारायण पांचाल ने केशवरायपाटन कोर्ट के सामने नहर के पास मन् पुलिस निरीक्षक को स्वेच्छा से बताया कि मैं यह रिश्वत राशि लेकर श्री पवन गौतम बाबू जेवीवीएनएल बूंदी को देता मैं आपके सामने मोबाईल से उससे बात कर सकता हूं। इस पर गाडी साईड में खडी करवाकर विडियोग्राफी प्रारम्भ करवाई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री पवन गौतम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तो श्री पवन गौतम ने मोहनी बाई के एचटी घरेलू कृषि कनेक्शन व अन्य सेल्फ फाईनेंस के लिए क्रमशः 13500रूपये व 7000रूपये की मांग संक्षेप मे साढे तेरेह तथा सात बोलकर की गई। आरोपी व पवन गौतम के मध्य हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। श्री पवन गोतम द्वारा श्री हरिनारायण पांचाल के मार्फत रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट होने से श्री पवन गौतम को डिटेन करना आवश्यक होने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात को पास ही थोडी दूरी पर पीछे खडे हुये को पास जाकर निवेदन किया गया। मोबाईल वार्ता की फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात रवाना होकर मन पुलिस निरीक्षक मय आरोपी मय हमराहीयान थाना केशवरायपाटन जिला बूंदी पहँूचा। जहां श्री बनवारी लाल हैड कानि. ड्यूटी ऑफिसर उपस्थित मिला। जिन्हें मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कक्ष उपलब्ध कराने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की गई, जिस पर उन्होनें आमद रवानगी कक्ष उपलब्ध कराया। इस पर सरकारी वाहन से आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल को यथास्थिति उतारा जाकर उपलब्ध करवाये गये आमद रवानगी कक्ष में पहुँचा। मन पुलिस निरीक्षक ने विडियोग्राफी प्रारम्भ करवाकर थाना परिसर से एक बोतल में साफ पानी लेकर दो अलग अलग प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। डिस्पोजल गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त में से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार

दूसरे डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क एल.एच.-1, एल.एच.-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान श्री महेशचन्द्र चैधरी के पास रखी रिश्वत राशि 500-500रूपये के 30 नोटों को निकलवाकर पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने हूबहू वही नोट होना बताया। जिस पर नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार हैः- 1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3BP 725268 2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6PM 670396 3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0GT 837567 4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 4HV 698633 5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 2BC 827585 6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6QF 159340 7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 5KW 992939 8. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 2GC 297830 9. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8KW 133042 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7EH 991263 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3VR 595662 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 9FA 755627 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3WB 189307 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7KA 729045 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0CQ 366524 16. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0MT 375920 17. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 4HS 927063 18. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8LC 005458 19. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 2BR 746700 20. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7GT 041416 21. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 1TU 117559 22. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 0NC 986542 23. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7TP 721182 24. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 7VP 399471 25. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6UE 055438 26. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8GM 465323 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 3HW 162055 28. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 5WW 013244 29. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 8BD 056029 30. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी - 6DL 595658 उक्त रिश्वत राशि के नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी के हाथों से ही बरामद हुई है अतः आरोपी के पहने हुये वस्त्रों की धुलाई नही करवाई गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरेापी श्री हरिनारायण पांचाल से परिवादी श्री विनोद प्रजापति के पेण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि श्री विनोद प्रजापति की माताजी के नाम कृषि भूमि पर घरेलू कनेक्शन की पत्रावली मेरे पास थी, जिसे आपने जब्त कर लिया है। मैं इस पत्रावली को एक्सईएन कार्यालय जे.वी.वी.एन.एल.बून्दी द्वितीय में लगाकर रसीद प्राप्त करता। वहा से अग्रिम कार्यवाही होने पर डिमाण्ड नोटिस की सूचना कस्टमर के मोबाईल व मेरे मोबाईल पर मिलती। डिमाण्ड जमा करने के बाद कस्टमर के कृषि कनेक्शन हेतु एक्सईएन कार्यालय बूंदी से स्वीकृति मिल जाती है। श्री ज्ञानचंद उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बूंदी द्वारा आरोपी पवन कुमार गौतम को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डिटेन करने की सूचना देने पर श्री गोपाल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री नरेष कानि. 144 व श्री राजूराम कानि. 276 सरकारी वाहन चालक श्री विशेष कुमार के डिटेनशुदा आरोपी को लाने के लिए रवाना हुआ। श्रीमती कीर्ति महिला कानि. को ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु छोडा गया। समय 06.20 पी.एम. पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात मय श्री पवन कुमार गोतम पुत्र श्री रामानंद शर्मा उम्र 36 साल जाति ब्राहम्ण निवासी खटावदा थाना दबलाना हाल निवासी मकान नं. बी-7 माँ संतोषीनगर छतरपुरा रोड, बूंदी हाल तकनिशियन द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल बूंदी द्वितीय के उपस्थित आये। श्री पवन कुमार गोतम से परिवादी के कृषि कनेक्शन स्वीकृत करने की एवज में आरोपी हरिनारायण पांचाल के मार्फत मांगी गई रिश्वत राशि के सबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि मैने परिवादी से कोई पैसे नहीं मांगे, हरिनारायण जी पांचाल को मैने लोड एक्सटेंशन की फाईल की डिमाण्ड के खर्चे के लिए 7000रूपये तथा घरेलू कनेक्शन की फाईल के लिए डिमाण्ड राशि हेतु 3500रूपये बताये थे। मुझे हरिनारायण पांचाल ने मोहनी बाई के कनेक्षन वाली बात नहीं बताई थी। आरोपी हरिनारायण पाचांल द्वारा श्री पवन गोतम से की गई मोबाईल वार्ता से स्पष्ट है कि श्री पवन कुमार गोतम द्वारा हरिनारायण पाचांल से आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री विनोद प्रजापति की माताजी श्रीमती मोहनीबाई के नाम से कृषि भूमि पर घरेलू बिजली कनेक्षन करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई। रिश्वत राशि आरोपी हरिनारायण पांचाल लेकर श्री पवन कुमार गोतम, तकनिशियन द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल बूंदी को देता रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल, ठेकेदार जेविविएनएल केशवरायपाटन जिला बूंदी ने श्री पवन कुमार गोतम तकनिशियन द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल बूंदी द्वितीय से आपसी मिलीभगत कर परिवादी के खेत पर उसकी माताजी श्रीमती मोहनी बाई के नाम से घरेलू कनेक्शन स्वीकृत करवाने की एवज में परिवादी श्री विनोद प्रजापति से 40,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 30,000रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा परिवादी के पास व्यवस्था नहीं होने के कारण मोबाईल फोन पर हुई वार्तानुसार 15,000रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी के हाथों से बरामद होना व दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होने

तथा आरोपी श्री हरिनारायण पाचांल की आरोपी पवन कुमार गोतम से मोबाईल पर वार्ता होने पर आरोपी पवन कुमार गौतम द्वारा परिवादी की माता मोहनी बाई के घरेलू कनेक्शन की स्वीकृति करवाने के लिए 13500 रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होने से श्री हरिनारायण पांचाल व श्री पवन कुमार गोतम के विरूद्ध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा (संशोधित) 2018 व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। फर्द बरामदगी मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री पवन कुमार गोतम, तकनिशियन द्वितीय को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् दो प्रति में नोटिस क्रमांक एसपीएल-1 दिनांक 30.11.2024 दिया गया तो आरोपी ने स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज की एक प्रति पर लिखकर दिया कि मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं। नोटिस नमूना आवाज को शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.15 पी.एम. पर आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल ठेकेदार को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् दो प्रति में नोटिस क्रमांक एसपीएल-2 दिनांक 30.11.2024 दिया गया तो आरोपी ने स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज की एक प्रति पर लिखकर दिया कि मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं। नोटिस नमूना आवाज को शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.10 पी.एम. पर आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल पुत्र नंदलाल जाति पांचाल उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं. 25 कापरेन तहसील केषवराय पाटन जिला बूंदी ठेकेदार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केषवरायपाटन जिला बूंदी को तथा समय 08.40 पी.एम. पर आरोपी श्री पवन कुमार गोतम पुत्र श्री रामानंद शर्मा उम्र 36 साल जाति ब्राहम्ण निवासी खटावदा थाना दबलाना हाल निवासी मकान नं. बी-7 माँ संतोषीनगर छतरपुरा रोड, बूंदी हाल टेकनिशियन द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल बूंदी द्वितीय को मन् राजपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात ने हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। दोनों आरोपीगण की पृथक-पृथक फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.10 पी.एम. पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया था, को श्री असलम खान स.उ.नि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता द्वितीय मेरे निर्देषन में हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.35 पी.एम. पर आरोपी हरिनारायण पांचाल व आरोपी पवन कुमार गौतम टेकनिषियन के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया था, को श्री असलम खान स.उ.नि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी, आरोपीगण व दोनों गवाहान को सुनाया गया। आरोपी हरिनारायण पाचांल ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री पवन कुमार गोतम की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपीगण व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता तृतीय मेरे निर्देशन में हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.10 पी.एम. पर परिवादी व आरोपी हरिनारायण पाचांल के मध्य हुई रिष्वत लेनदेन वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया था, को श्री असलम खान स.उ.नि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। आरोपी हरिनारायण पाचांल ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री पवन कुमार गोतम की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपीगण व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मेरे निर्देशन में हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.54 पी.एम पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को श्री असलम खान सउनि से लेपटोप में लगवाया गया। लेपटॉप में लाईसेंसी एन्टीवायरस संधारित है उससे उक्त डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाईरस/मालवेयर नही होना पाया गया। दिनांक 28.11.2024 को परिवादी श्री विनोद प्रजापति व आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 30.11.2024 को परिवादी व आरोपी हरिनारायण पाचांल के मध्य हुई मोबाईल वार्ता प्रथम व द्वितीय, आरोपी हरिनारायण पांचाल व आरोपी पवन कुमार गोतम के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तृतीय की मेरे निर्देषन में क्लोन/कॉपी कर पांच पैन ड्राईव तैयार करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्डस व पैन ड्राईव की पृथक-पृथक हैश वैल्यू की गणना कर प्रिंट लिया गया उक्त प्रिंट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव वजह सबूत न्यायालय के लिए, एक-एक पेन ड्राईव दोनों आरोपीगण के लिए, एक पेन ड्राईव एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए पृथक-पृथक कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर किये गये एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखा गया। तैयारशुदा चार शील्डषुदा पेन ड्राईव को कब्जे एसीबी लिया गया। फर्द क्लोन/कापी पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 11.50 पी.एम पर श्री मोहम्मद शरीफ कानि. के मोबाईल फोन में लगाये गये मैमोरी कार्ड को निकलवाकर कार्ड रीडर मे लगाकर श्री असलम खान स.उ.नि. से लैपटाप में लगाया गया। लेपटॉप में लाईसेंसी एन्टीवायरस संधारित होना सुनिश्चित कर उससे उक्त डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाईरस/मालवेयर नही होना पाया गया। मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड सभी विडियोग्राफी की 12

क्लिपस की हैश वैल्यू की गणना कर प्रिंट लिया गया। जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही की विडियोग्राफी में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर कपडे की थैली में रखकर शील्ड किया गया । कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही की फर्द विडियोग्राफी मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 01.12.2024 समय 01.00 ए.एम पर श्री सुमित पांचाल पुत्र श्री हरिनारायण पांचाल ने एक प्रार्थना पत्र मय आर.सी. इस आषय का पेष किया कि मेरी गाडी अल्टो 800 नम्बर आरजे 08 सीबी 6175 जिसे मेरे पिता द्वारा उपयोग में ली जाती है चुंकि अनुसंधान में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं होने से उक्त वाहन को वाहन स्वामी श्री सुमित पांचाल को दुरूस्त हालत में सुपुर्द किया गया। एवं हिदायत दी गई कि अनुसंधान में उक्त वाहन की आवश्यकता होने पर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश करेगा। आरोपी द्वारा प्रयुक्त मोबाईल फोन को चैक किया तो मोबाईल फोन में किसी तरह की वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाया गया है। अतः आरोपी के मोबाईल फोन को भी आरोपी के बताये अनुसार उसके पुत्र श्री सुमित पाचांल के सुपुर्द किया गया। उक्त वाहन एवं मोबाईल फोन की प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई । समय 06.30 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, दोनों आरोपीगण मय श्री असलम खान सउनि, श्री पवन कुमार कानि0 272 के सरकारी वाहन मय चालक श्री विशेष कुमार कानि. 585, बरामदशुदा रिश्वत राशि का लिफाफा, आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल के हाथों के धोवन की 04 शीशियां, व शील्डषुदा पेन ड्राईव-04 व एक अनषील्ड पेनड्राईव, मैमोरी कार्ड के शील्डषुदा 02 पैकिट डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय पत्रावली ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के रवाना हुआ। श्री मोहम्मद शरीफ कानि. 288, श्री राजूराम कानि. 276 को निजी मोटसाईकिल से तथा परिवादी को स्वयं की कार से घटनास्थल नार्दन बाईपास, गामछ तिराहे पर पहुँचने की हिदायत कर रवाना हुआ। समय 06.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री विनोद प्रजापति मय दोनो स्वतंत्र गवाहान,दोनों आरोपीगण मय एसीबी जाब्ता मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री विशेष कुमार कानि. चालक 585 के पूर्व का रवानाषुदा घटना स्थल नार्दन बाईपास गामछ तिराहा पहुँचा। जहाँ परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्षा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया। तत्पश्चात परिवादी श्री विनोद प्रजापति को उसके निजी वाहन से सकुशल रूखसत किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान कार्यालय हेतु रवाना हुआ। समय 07.30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक उक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्या. भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुँचा। जहाँ प्रकरण के समस्त आर्टिकल्स को श्री पवन कुमार कानि. 272 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित जमा करवाये गये। दोनों गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया। समस्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल, ठेकेदार जेविविएनएल केषवरायपाटन जिला बूंदी ने श्री पवन गोतम तकनिशियन द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल बूंदी द्वितीय से आपसी मिलीभगत कर परिवादी के खेत पर उसकी माताजी श्रीमती मोहनी बाई के नाम से घरेलू कनेक्शन स्वीकृत करवाने की एवज में परिवादी श्री विनोद प्रजापति से 40,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 30,000रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा परिवादी के पास व्यवस्था नहीं होने के कारण मोबाईल फोन पर हुई वार्तानुसार 15,000रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी के हाथों से बरामद होना व दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होने तथा आरोपी श्री हरिनारायण पाचांल की आरोपी पवन कुमार गोतम से मोबाईल पर वार्ता होने पर आरोपी पवन कुमार गौतम द्वारा परिवादी की माता मोहनी बाई के घरेलू कनेक्शन की स्वीकृति करवाने के लिए 13500 रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होने से श्री हरिनारायण पांचाल व श्री पवन कुमार गोतम के विरूद्ध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा (संषोधित) 2018 व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से 1-आरोपी श्री हरिनारायण पांचाल पुत्र श्री नंदलाल जाति पांचाल उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं. 25 कापरेन तहसील केशवराय पाटन पाटन जिला बूंदी ठेकेदार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केशवराय पाटन जिला बूंदी 2-आरोपी श्री पवन कुमार गोतम पुत्र श्री रामानंद शर्मा उम्र 36 साल जाति ब्राहम्ण निवासी खटावदा थाना दबलाना हाल निवासी मकान नं. बी-7 माँ संतोषीनगर छतरपुरा रोड, बूंदी हाल तकनिशियन द्वितीय, कार्यालय अधिषाषी अभियंता जेवीवीएनएल बूंदी द्वितीय द्वारा जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा (संशोधित) 2018 व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (राजपाल सिंह) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजपाल सिंह,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा देहात ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण (1) श्री हरिनारायण पांचाल पुत्र नंदलाल जाति पांचाल उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं.25 कापरेन तहसील केशवराय पाटन जिला बूंदी ठेकेदार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड केशवरायपाटन जिला बूंदी एवं (2) श्री पवन कुमार गोतम पुत्र श्री रामानंद शर्मा उम्र 36 साल जाति ब्राहम्ण निवासी खटावदा थाना दबलाना हाल निवासी मकान नं. बी-7 मां संतोषीनगर छतरपुरा रोड, बूंदी हाल तकनिशियन द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल बूंदी द्वितीय के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई।

उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 476 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1555-58 दिनांक 02-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- अधीक्षण अभियंता(प.व. स.)जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बून्दी। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MUKUL SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/12/2024 17:17:11

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				
2	Male	17/08/1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)